



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भारतनुं राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण

भाग-8 खण्ड-1
PART VIII Section 1
भाग 8 विभाग-1

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकारधी प्रकाशित

नं.-1] नई दिल्ली, रविवार 1 सितम्बर, 1991/10 भाद्रपद 1913, (शक) [खंड-8
No.-1] NEW DELHI, SUNDAY 1 SEPT., 1991/10 BHADRAPADA, 1913(SAKA) [VOL.-8
अंक-1] नवी दिल्ली, रविवार 1 सप्टेम्बर, 1991/10 भाद्रपद, 1913 (शक) [वॉल्यूम-8

इस भागमें भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिसकी यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it
may be filed as a separate compilation.

आप भागने अलग पाना नंबर आपेव छे, जेथी ते अलग संग्रह तरीके इच्छित करी शकथे.

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1991/10 भाद्रपद 1913 (शक)

(1) दि अेप्रिकल्चरीस्ट लोन्स एक्ट, 1984 (सन 1984 का 12) (2) दि अेक्स्प्लोडीव
सब्टन्सीस एक्ट, 1908 (सन 1908 का 6) (3) दि इन्डियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 (सन
1927 का 16) और (4) दि प्रोवशन ओफ ओफेन्डर्स एक्ट, 1958 (सन 1958 का 20) के
निम्न लिखित गुजराती अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं
और प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (सन 1973 का 50) की धारा
2 के खंड (क) के अधीन ये गुजराती भाषा में उनके प्राधिकृत अनुवाद समझे जाएंगे।

(Price : Rs. 5-00)

